भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2843
20.12.2023 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड्स संबंधी नए दिशानिर्देश

2843. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें संशोधन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या संसद सदस्यों ने उक्त दिशानिर्देशों पर चिंता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या निधि के आबंटन के बढ़ते केन्द्रीकरण से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) परियोजनाओं की प्रभावकारिता पर असर पड़ रहा है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) से (ख) जी हाँ, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों को समझने में आसान बनाने, अस्पष्टताओं से मुक्त करने, कार्यान्वयन के लिए गत्यात्मक और सुगम बनाने; तथा एमपीलैड्स योजना को अधिक सहज, सक्षम और प्रभावकारी तथा समुदाय की नित परिवर्तनीय विकास आवश्यकताओं के अनुरूप संगत बनाने के उद्देश्य से इनमें संशोधन किए गए हैं।

(ग) से (च) मंत्रालय को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों के संशोधन के लिए सुझाव सहित माननीय सांसदों और अन्य हितधारकों से निरंतर आधार पर नए सुझाव/ प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं और मंत्रालय द्वारा उनकी जाँच की जाती है।

संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया को वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसरण में दिनांक 01.04.2023 से लागू किया गया। संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के अंतर्गत, माननीय सांसदों को नई परियोजनाओं को संस्तुत करने से पूर्व मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली वास्तविक निधि के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी चूँकि उन्हें निश्चित शर्तों के अध्यधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरूआत में वार्षिक आहरण सीमा आवंटित कर दी जाएगी। निधि प्रवाह की पूरी प्रक्रिया आईटी प्लेटफ़ॉर्म पर संचालित होगी, जिससे माननीय सांसद, केंद्रीय एवं राज्य सरकार एजेंसियाँ, ज़िला प्राधिकारी आदि सहित सभी हितधारक वास्तविक समय आधार पर निधि तथा कार्य की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं जो एमपीलैड्स के अंतर्गत परियोजनाएओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाता है और प्रणाली में बेहतर पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाता है।

*****